सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

नजरसानी रिव्यू प्रकरण सं0 02/2017

1. पृथ्वीराज पुत्र श्रीगणपतराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी 13 एस. टी.आर. ज़ानकीदास तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. गुरदेव कौर पत्नी गुरदयाल सिंह जाति कुम्हार निवासी जीवनदेसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. हेतराम पुत्र रामकरण जाति कुम्हार निवासी जीवनदेसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर

अप्रार्थी

नजरसानी अन्तर्गत धारा 86 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थित : राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से

उपस्थिति : श्री जरनैल सिंह टुरना अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश **दिनांक : 29.06.2018**

प्रस्तुत नजरसानी अन्तर्गत धारा 86 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 सीपीसी इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.11.2016 के आदेश के विरूद्व पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि माननीय न्यायालय के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थी के पिता गणपतराम को चक जीवनदेसर के मुरब्बा नम्बर 87 की 25 बीघा बारानी भूमि बतौर भूमिहीन आवंटन हुई थी जिसकी सनद सख्या 10490 दिनांक 24.12.1977 को जारी कर दी गई थी और अप्रार्थीगण द्वारा दुर्भसन्धि करके प्रार्थी की उक्त भूमि हडपने की नियम से कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाकर उसका असली रूप में प्रयोग करते हुये विधि विरूद्व तरीके से उक्त भूमि खारिज करवा दी गई ओर अप्रार्थी सख्या 3 से दुर्भिसन्धि करके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर के वाद प्रस्तुत करवा दिया गया ओर उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर द्वारा उक्त भूमि को बहक सरकार लेने के आदेश दे दिये गये थे और बाद में अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 द्वारा अपने नाम से आंवटन उपखण्ड से करवा ली गई थी जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा राजकीय अधिवक्ता की बहस के आधार पर प्रस्तुत रैफरेन्स में वर्णित भूमि आवंटन के लिए प्रतिबन्धित थी, अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर रिकॉर्ड में जोहड पायतन दर्ज किया जाना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इस प्रकार राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भी जोहड पायतन की भूमि को खाली रखे जाने के निर्देश दिये गये है। इस प्रकार अप्रार्थी को किया गया आवंटन अवैध है जो खारिज किये जाने योग्य है। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि प्रार्थी को रेफरेन्स प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि न्यायालय ही अपने अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मंगवाकर विधिसम्मत् कार्यवाही कर रेफरेन्स के लिए प्रकरण पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली से अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रैफरेन्स प्रार्थी द्वारा भू–राजस्व की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से प्ररिभाषित किया गया है– Power to call for record and proceding and refere no to state Goverment or Board. प्रस्तुत रैफरेन्स प्रार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीन्स्थ हों, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैधता के सम्बन्ध में जांच कर सकते है इसलिए रेफरेन्स पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है, कतई गलत है। माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली का सही अवलोकन न करके अहम व कानूनी भूल की है। माननीय न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज होने योग्य है आवंटन भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर रिकॉर्ड में जोहड पायतन रिकॉर्ड दर्ज किया जाना चाहिए , के आधार पर निर्णय किया है क्योंकि माननीय न्यायालय रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के साथ लगे रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं है क्योंकि रेफरेन्स प्रार्थनापत्र के साथ लगे रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं किया गया है क्योंकि रेफरेन्स में दर्ज चक जीवनदेसर तहसील पदमपुर की मुरब्बा नम्बर 87 जोहड पायतन की नहीं है बल्कि कृषि भूमि थी इसलिये माननीय न्यायालय कानून व तथ्यों के विपरीत जाकर निर्णय किया गया है, जबकि रेफरेन्स में दर्ज भूमि कभी भी जोहड पायतन की भूमि नहीं रही थी और कृषि भूमि ही प्रार्थी के पिता को आंवटन हुई थी जिसकी खातेदारी सनद भी बन चुकी थी। माननीय न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से रेफरेन्स खारिज किया गया है क्योंकि हरीजन को आवंटन शुदा भूमि को स्वर्ण को आवटन नहीं हो सकती है जो हरिजन के नाम खारिज कर दी हो क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 स्वर्ण जाति के थे , इसलिये कानूनन रेफरेन्स में दर्ज कृषि भूमि उन्हें आवंटन ही नहीं हो सकती थी जो जैसा कि माननीय न्यायालय राजस्थान के निर्णय आर.आर. डी 2016 पेज संख्या 451 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये माननीय न्यायालय ने प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज करके अहम तथ्यात्मक व कानूनी भूल की है। माननीय न्यायालय मिसल पर प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन नहीं किया गया है तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर निर्णय किया गया है जब रेफरेन्स में दर्ज भूमि जोहड पायतन है ही नहीं जबकि माननीय न्यायालय जोहड पायतन की भूमि मानकर निर्णय दिया गया है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है इसलिये माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.11.2016 विधि विरूद्व व तथ्यों के विपरीत जाकर किया गया है इसलिये प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जावे और राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स भिजवाये जाने में कोई भी कानूनी बाधा नहीं है। प्रार्थी द्वारा बिना विधि अधिकारिता के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

कतई गलत है क्योंकि प्रार्थी के पिता की खातेदारी भूमि थी, जो अप्रार्थीगण द्वारा विधि विरूद्व तरीके से खारिज करवाकर फिर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उसी भूमि को आवंटन करवा लिया और अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की उसके पिता की मिलने वाली सम्पति को वंचित किया गया है। इसलिये प्रार्थी प्रभावित पक्षकार है और प्रार्थी को रेफरेन्स प्रस्तुत करने अधिकारी था लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः नजरसानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2016 को दुरूस्त किया जाकर नजरसानी स्वीकार की जाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावें।

नजरसानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि प्रस्तुत नजरसानी रिव्यू में वर्णित भूमि आवंटन के लिए प्रतिबन्धित थी। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत बने नियमों ''गंगकैनाल 1954 के तहत जिस भूमि का आवंटन किया गया है। वह भूमि राज्य सरकार में जरिये धारा 175 आर.टी.एक्ट के तहत अधिग्रहण हुई है इसलिए ऐसी भूमि का आवंटन अनुसूचित जाति को आवंटित हो सकती थी अन्य किसी जाति के व्यक्ति को आवंटित नहीं हो सकती थी। इसलिए गुरदयाल सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति कुम्हार मुताबिक आदेश उपजिलाधीश श्रीकरनपुर द्वारा मु.न. 87 के किला नम्बर 1 ता 5, 9 व 10 कुल 7.00 बीघा भूमि अन्तोदेय योजना में आवंटित होने पर इन्तकाल संख्या 142 दिनांक 16.10.1978 को स्वीकृत हुआ एवं हेतराम पुत्र रामकरण को उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर की पत्रावली संख्या 330/1980 निर्णय दिनांक 20.08.1980 द्वारा मु.न. 87 किला नम्बर 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 12.00 बीघा को आवंटित की गई है को किया गया आवंटन विधि सम्मत् नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को किया गया आवंटन निरस्त कर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में धारा 82 के तहत रेफरेन्स पेश किया जावें।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की एवं इसके अलावा मौखिक बहस में कहा है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थी के पिता गणपतराम को चक जीवनदेसर के मुरब्बा नम्बर 87 की 25 बीघा बारानी भूमि बतौर भूमिहीन आवंटन हुई थी। जिसकी सनद सख्या 10490 दिनांक 24.12.1977 को जारी कर दी गई थी और अप्रार्थीगण द्वारा दुर्भसन्धि करके प्रार्थी की उक्त भूमि हडपने की नियम से कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाकर उसका असली रूप में प्रयोग करते हुये विधि विरूद्व तरीके से उक्त भूमि खारिज करवा दी गई ओर अप्रार्थी सख्या 3 से दुर्भिसन्धि करके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर के वाद प्रस्तुत करवा दिया गया ओर उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर द्वारा उक्त भूमि को बहक सरकार लेने के आदेश दे दिये गये थे और बाद में अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 द्वारा अपने नाम से आंवटन उपखण्ड से करवा ली गई थी। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष नजरसानी प्रस्तुत की गई है क्योंकि पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा कानून व तथ्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 को मानकर निर्णय किया

गया है जबकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई रेफरेन्स प्रस्तुत नहीं किया गया था, क्योंकि प्रार्थी के पिता के नाम से विवादित भूमि आवंटन थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से दुर्भसंधि करके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुरके वाद प्रस्तुत कर दिया गया और उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर द्वारा विवादित भूमि को बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये और बाद में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा विवादित भूमि को अपने नाम से आवंटन करवा लिया गया। जबकि कानूनन विवादित भूमि आवंटन नहीं हो सकती थी क्योंकि प्रार्थी का पिता मेधवंशी था और अप्रार्थीगण स्वर्ण जाति के थे इसलिए कानूनन स्वर्ण जाति को दलित का रकबा आवंटन नहीं हो सकता था, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय आर.आर.डी. 2016 पेज नम्बर 451 में उद्वित किया गया है। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा रेफरेन्स का निर्णय करते हुए इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है इसलिए रेफरेन्स पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है कतई गलत है, क्योंकि प्रार्थी गणपतराम पुत्र बिंजाराम जाति मेघवाल का लडका है और विवादित भूमि प्रार्थी को गणपतराम का लडका होने के नाते बतौर विरासतन प्राप्त होनी थी, क्योंकि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 114 में यह दर्ज किया हुआ है कि "Subject as aforesaid, any person considering himself aggrieved" व भू–राजस्व अधिनियम की धारा 86 में उद्वित किया गया है कि "Every other revenue court or officer may either on its or his own motion or on the application of any party interested, review any order passed by itself or himself or by nay of its or his predecessors in office and pass such orders in reference thereto as it or he thinks fit" व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 2010 एन.ओ.सी. 480 गुवाहाटी में यह उद्वित किया है कि न्यायालय सुमोटो ही रिव्यु कर सकता है। इसलिए प्रार्थी प्रभावित पक्षकार था और रेफरेन्स प्रस्तुत करने का अधिकारी था लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 18.11.2016 में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया बल्कि बिना पत्रावली का अवालोकन किये हुए निर्णय किया गया है। इसलिए दिनांक 18.11.2016 का निर्णय निरस्त होने योग्य है, क्योंकि माननीय न्यायालय के पूर्व निर्णय में तहसीलदार पदमपुर को यह भी आदेश दिया है कि मामले का अध्ययन कर प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाये जाने पर नियमानुसार रेफरेन्स की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की जावे। लेकिन तहसीलदार पदमपुर द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई बल्कि प्रार्थी विवादित भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आवंटित की गई थी उससे प्रभावित पक्षकार था इसलिए रेफरेन्स करने का अधिकारी था, क्योंकि धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम में यह उद्वित किया गया है कि "Director of Land Records [or a collector] may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the pupose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity or procedings " व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 2002(1) पेज नम्बर 1771 में उद्वित किया गया है कि '' न्यायालय को अर्न्तनिहित शाक्तियां प्राप्त है कि जहां न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आयी हुई सुरतों को देखकर निर्णय न किया हो तो रिव्यु किया जा सकता है क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा जो पूर्व में

दिनांक 18.11.2016 को पारित किया गया है व न तो स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में आता है और कानून के विपरित जाकर निर्णय पारित किया गया है। माननीय न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि कानूनन दलित की भूमि जो खारिज हो चुकी है उसे स्वर्ण जाति को कानूनन आवंटन नहीं हो सकती है लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 18.11.2016 की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही अपने निर्णय में इसका कोई उल्लेख किया गया है, इसलिए माननीय न्यायालय का पूर्व निर्णय दिनांक 18.11.2016 निरस्त होने योग्य है और रेफरेन्स प्रस्तुत होने योग्य है, क्योंकि पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह पत्रावली का अवलोकन करके पारित नहीं किया गया है और निर्णय में भी अप्रार्थी सख्या 1 की जाति राजपूत दर्शाई गई है जबकि अप्रार्थी सख्या 1 की जाति कुम्हार थी और रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में भी कुम्हार दर्ज की गई थी और गुरदेव कौर को जो विवादित आवंटन हुई है उसमें भी उसकी जाति कुम्हार है लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में गुरदेव कौर की जाति राजपूत दर्ज की गई है और सनद सख्या 10450 भी निर्णय में गलत दर्ज की गई है जबकि सही सनद सख्या 10490 है इसलिए पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया ही नहीं गया और मनमाने तरीके से ही निर्णय पारित कर दिया गया है इसलिए दिनांक 18.11.2016 का निर्णय निरस्त होने योग्य है। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय आर.आर.डी. 2013 पेज नं. 778 में यह उद्वित किया गया है कि " Land of person of S.C. Application of 'G' and 'S' dimissed board allowed it writ petition dismissed Contention that they pruchased the land after payment of dceretal amount since the land was under attachment sale made in violation of Sec. 42[b] is void-ab-initio-No right created in favour of appellant- Held, appeal dismissed." और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज नं. 3017 बी में यह उद्वित किया गया है कि '' मियाद का बिन्दु नहीं देखा जावेगा'' जहां हस्तांतरण की गई भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 की अवहेलना की गई हो। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय में इन बिन्दुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय आर.एल.आर. 1988 (1) पेज नं. 554 में यह उद्वित किया गया है कि '' न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को नोटिस में नहीं लाया गया तो भी रिव्यु लाई होता है '' क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना करते हुए निर्णय पारित किया गया है इसलिए प्रार्थी की नजरसानी स्वीकार होने योग्य है।

लिहाजा लिखित बहस प्रस्तुत कर अर्ज है कि माननीय न्यायालय का पूर्व निर्णय दिनांक 18.11.2016 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का नजरसानी स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निम्न नजीरे पेश की गईः–

1. ए.आई.आर. पेज–3070 (एस.सी.)
2. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेज–63
3. Raj. Colo.[Gang canal.....Allot.& Sale] Rules.1956 का नियम 6(5)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

" **The Land belonging to a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe which vests in the State Government Under Section 175 and 176 of the Rajasthan Tenancy Act[1955 and Under sections 13 and 14 of the Rajasthan colonisation Act, 1954, Shall be allotted only to a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe respectively, in accordance with the provisions of these rules."**

अधिवक्ता अप्रार्थी को पृथक–पृथक समय में बार –बार आवाजे लगाई गई पर वे उपस्थित नही हुए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में राज़स्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत प्रार्थी पृथ्वीराम पुत्र गणपत द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। आर.एल.आर. एक्ट की धारा 86(2) न्यायालय हाजा में पुनरावलोकन के प्रावधानों से सम्बन्धित है। अधिकारी Suo Moto या हित रखने वाले किसी पक्षकार के प्रार्थना–पत्र पर पुनरावलोकन कर सकते है। प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी के पिता गणपतराम को चक जीवनदेसर के मुरब्बा नम्बर 87 की 25 बीघा बारानी भूमि बतौर भूमिहीन आवंटन हुई थी। जिसकी सनद सख्या 10490 दिनांक 24.12.1977 को जारी कर दी गई थी। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष नजरसानी प्रस्तुत की गई है क्योंकि पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा कानून व तथ्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 को मानकर निर्णय किया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई रेफरेन्स प्रस्तुत नहीं किया गया था, क्योंकि प्रार्थी के पिता के नाम से विवादित भूमि आवंटन थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से दुर्भसंधि करके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर के वाद प्रस्तुत कर दिया गया और उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर द्वारा विवादित भूमि को बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये और बाद में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा विवादित भूमि को अपने नाम से आवंटन करवा लिया गया। कानूनन विवादित भूमि आवंटन नहीं हो सकती थी क्योंकि प्रार्थी का पिता मेघवंशी था और अप्रार्थीगण स्वर्ण जाति के थे इसलिए कानूनन स्वर्ण जाति को दलित का रकबा आवंटन नहीं हो सकता था। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष नजरसानी प्रस्तुत की गई है जो स्वीकार किये जाने योग्य है।

पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र के तथ्यों के सन्दर्भ में रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पत्रावली व प्रकरण में न्यायालय हाजा के निर्णय को देखा गया। इस निर्णय के अवलोकन मात्र से कानूनी त्रुटियां जाहिर है। निर्णय में आर.टी.एक्ट की धारा 16 के हवाले से प्रतिबंधित भूमियों का जिक्र किया गया है परन्तु ऐसाा न तो प्रार्थी द्वारा अंकित किया है और न ही प्रकरण के तथ्य इसकी पुष्टि करते है। अतः पुनरावलोकन के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। प्रकरण में निहित कानूनी प्रावधानों के आलोक में निर्णय का पुनरावलोकन न्यायहित में समुचित है। लिहाजा पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 01/2015 रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 18.11.2016 को दिये निर्णय वाले मामले के तथ्य है कि :– " राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत बने (गंगनहर क्षेत्र में कृषि भूमि के स्थाई आवंटन एवं विक्रय) नियम 1956 के तहत उपजिलाधीश

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

श्रीकरनपुर मुताबिक मिसल नम्बर 330/80 निर्णय दिनांक 20.08.1980 को चक जीवनदेसर तहसील पदमपुर के मु.नं. 87 किला नम्बर 6 ता 8 , 13 ता 18, 23 ता 25 की क्रमशः 3,6 व 3 बीघा कुल 12 बीघा भूमि हेतराम पुत्र रामकरण अप्रार्थी सख्या 02 को आवंटित होकर सनद संख्या 10490 दिनांक 24.12.1977 जारी होकर गैरखातेदारी दर्ज हुई। पत्रावली पर अभिलेख में उपरोक्त वर्णित भूमि भू–प्रबन्धक विभाग की खतौनी सख्या 2026 से 2035 पृष्ठ 238 मुताबिक मु.नं. 87 किला नम्बर 1 से 25 कुल 25 बीघा गणपतराम वल्द बींझा कोम मेघवंशी को पुख्ता आवंटन गैरखातेदारी दर्ज पाई गई है।

इसी तरह अभिलेख पर उपलब्ध उपजिलाधीश श्रीकरनपुर की आवंटन पत्रावली की आदेशिका मुताबिक हेतराम के अलावा गुरदयाल (अप्रार्थीया संख्या 01 के पति) का भी आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहा परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट मुताबिक उसके पिता के पास 50 बीघा भूमि थी जो बेच दी और 7 बीघा भूमि आवंटित है, इस कारण गुरदयाल सिंह पुख्ता आवंटन करवाने हेतु सक्षम नहीं, प्रतिवेदित हुआ। पत्रावली पर ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य न तो गुरदयाल सिंह के आवंटन से सम्बन्धित पाया गया है और न ही उससे सम्बन्धित भूमि का राज हक में अधिग्रहण होना पाया गया है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में वर्णित मु.नं. 87 के किला नम्बर 1 ता 5, 9 व 10 की कुल 7.00 बीघा भूमि बहक सरकार होना सबूतों के आभाव में नहीं माना जा सकता। इसके सम्बन्ध में रेफरेन्स का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। लिहाजा इस पर रेफरेन्स का निर्देश दिया जानाा न्यायोचित नहीं है।

रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में वर्णित शेष रही भूमि न्यायालय उपजिलाधीश श्रीकरनपुर की पत्रावली सख्या 953/76 अनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर बनाम गणपतराम पुत्र बींझाराम मेघवाल व हेतराम पुत्र रामकरण जाति कुम्हार निर्णय दिनांक 15.09.1976 आवेदन अन्तर्गत धारा 175 आर.टी. एक्ट से तहसीलदार पदमपुर के आवेदन पर गणपतराम द्वारा हेतराम को आर.टी. एक्ट की धारा 42 (ख) के प्रावधानों के विपरीत दिनांक 24.05.1972 को पंजीबद्व विक्रय कर देने के फलस्वरूप चक जीवनदेसर की मु.नं. 87/125 के किला नम्बर 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की क्रमशः 3, 6 व 3 बीघा कुल 12.00 बीघा भूमि का कब्जा बहक सरकार के अधिग्रहण किये जाने के आदेश दिये गये जिसकी डिक्री जारी की गई। इस प्रकार उक्त 12 बीघा भूमि राज्य सरकार में निहित हुई जो अवैध बेचानकर्ता गणपतराम (मेघवंशी) अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा धारित होकर आई है। इसलिए ऐसी भूमि का आवंटन अनुसूचित जाति के सदस्य को ही हो सकता था अन्य किसी जाति के सदस्य को नहीं। **प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर संख्या 03 Raj. Colo.[Gang canal.....Allot.& Sale] Rules.1956 का नियम 6(5) हुबहू इस प्रकरण में चस्पा होती है।** इसलिए हेतराम पुत्र रामकरण जाति कुम्हार, जो अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य है को किया गया आवंटन विधि सम्मत् नहीं है। अतः अप्राथी सख्या 02 हेतराम पुत्र रामकरण को मु.न. 87 किला नम्बर 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 12.00 बीघा भूमि का किया गया आवंटन खारिज किये जाने के दायित्वाधीन होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत रेफरेन्स योग्य उपयुक्त पाए जाने पर आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में उपरोक्त वर्णित 12 बीघा भूमि के सम्बन्ध में

अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन)

रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार पदमपुर को निर्देशित किया जाकर इस आदेश की प्रमाणित प्रति उन्हें प्रेषित की जाती है। तहसीलदार पदमपुर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक पक्षकारों को संयोजित कर रेफरेन्स पेश कर निर्णय की पालना में समुचित कार्यवाही अविलम्ब करे।

आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/6/18

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर